

**10-05-2017:-**

राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित हैं। अभियुक्तगण भभीक्षन यादव, मुन्ना यादव, राजू यादव, पप्पू यादव, हरिश्चन्द्र यादव व सत्तन यादव बार बार आवाज लगाने पर भी अनुपस्थित हैं। इस समय 9.45 a.m. बज चुके हैं। अतः अभियुक्तगण भभीक्षन यादव, मुन्ना यादव, राजू यादव, पप्पू यादव, हरिश्चन्द्र यादव व सत्तन यादव के विरुद्ध गैर जमानतीय वारण्ट एवं उसके जमानतियों को नोटिस अन्तर्गत धारा 446 दं०प्र०सं० दिनांक 10-06-2017 के लिये जारी हो। पत्रावली दिनांक 10-06-2017 को पेश हो।

सत्र न्यायाधीश,  
कुशीनगर